समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

12-11-2013 आवेदक **विवेक कुमार शर्मा,** पिता–श्री विजय कुमार शर्मा, सा0–गोला रोड, दानापुर कैन्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–237/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–18.10.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–12.11.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–12.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1018/गो0, दिनांक–10.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष –सह– पुलिस निरीक्षक, दानापुर के अग्रसारण से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हुए मूल में संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। आवेदक के दादा–स्व0 कृष्ण नाथ शर्मा के नाम एक डी0बी0बी0एल0 गन सं0–7106 को उनके दादा के मृत्योपरान्त आग्नेयास्त्र विक्रेता, मेसर्स शर्मा एण्ड सन्स, 8/ए0 लालजी मार्केट, पटना में जमा है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक विवेक कुमार शर्मा, पिता–श्री विजय कुमार शर्मा, सा0–गोला रोड, दानापुर कैन्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।